कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, रांची।

(जिला नजारत शाखा)

आदेश

भवन के रख–रखाव व प्रशासनिक व्यय को ध्यान मे रखकर अगले आदेश तक जिला प्रशासन, रांची के अधीन संचालित राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी रांची, परिसदन, कचहरी चौक एवं हटिया गेस्ट हाउस, सिंह मोड़ के कमरों का किराया निम्नवत निर्धारित किया जाता है :–

क्रमांक	अतिथि की कोटि	अवधि	राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी (@ प्रति दिन)	परिसदन, रांची (@ प्रति दिन)	हटिया गेस्ट हाउस, रांची (नन ए.सी.) (@ प्रति दिन)
1.	झारखण्ड सरकार एवं भारत सरकार के अतिथि सरकारी यात्रा पर	अधिकतम 5 (पांच) दिन	250	200	150
2.	झारखण्ड सरकार एवं भारत सरकार के अतिथि निजी यात्रा पर	अधिकतम 5 (पांच) दिन	400	300	250
3.	झारखण्ड सरकार एवं भारत सरकार को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों, बोर्ड, निगमों, के अतिथि, सरकारी यात्रा पर	अधिकतम 5 (पांच) दिन	500	400	350
4.	झारखण्ड सरकार एवं भारत सरकार को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों, बोर्ड, निगमों, के अतिथि, निजी यात्रा पर	अधिकतम 5 (पांच) दिन	600	500	475
5.	उपरोक्त चारों कोटि से इतर कोटि के अतिथि	अधिकतम 5 (पांच) दिन	800	700	600

यह आदेश, वैसे मामलों को छोड़कर जिनमें आरक्षण आदेश दिनांक 31.03.12 तक जारी किया गया है, दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी होगा।

राजकीय अतिथियों जिनका आवासन/भोजन निःशुल्क होता है को छोड कर सभी कोटि के अतिथियों को कमरा "चेक इन" के पूर्व एक दिन का किराया अग्रिम जमा करना होगा अन्यथा केयर टेकर आवंटित कमरे की चाबी देने से इंकार कर सकते हैं। आवंटित कमरे की चाबी प्राप्त कर अतिथि बिना सूचना के चाबी सहित अतिथिशाला में नहीं रहते है तो वैसी स्थिति में भी शुल्क देय होगा।

29/03/12

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रांची।

ज्ञापांक 304/नजा॰ रांची, दिनांक 31·3·12

प्रतिलिपिः केयर टेकर, राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची/केयर टेकर, परिसदन, कचहरी रोड, रांची/केयर टेकर, हटिया गेस्ट हाउस, सिंह मोड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी उपायुक्त, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, मन्त्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।